रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 224] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 25, 1973/आश्विन 3, 1895
No. 224] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 26, 1973/ASVINA 3, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 25th September 1973

SUBJECT:—*Trade with Bangladesh.*

No. 158-ITC(PN)/73.—Attention is invited to:—

(i) Ministry of Commerce Public Notice No. 108-ITC(PN)/73 dt. the 26th June 1973, pertainig to trade with Bangladesh under the Limited Payments Arrangements in force upto 27th September, 1973; and

(ii) Ministry of Commerce Public Notice No. 116-ITC(PN)/73 dt. the 16th July 1973, pertaining to trade with Bangladesh under the Balanced Trade and Payments Arrangements during the period from 28th September, 1973 to 27th September, 1974.

2. The Limited Payments Arrangement as referred to in (i) above will lapse on the 27th September, 1973. From 28th September 1973, the Bangladesh Trade and Payments Arrangement referred to in (ii) above will come into force.

3. If in respect of any contracts for imports into India from Bangladesh or for exports from India to Bangladesh, which are already registered under the Limited Payments Arrangement in accordance with the prescribed procedure, the shipment or despatch of goods, whether for the full value of the contract or a part thereof, has not been made on or before 27th September, 1973 and the parties to the contract i.e., the buyer and the seller mutually agree to the goods being supplied after the 27th September, 1973 to cover the unutilised value of the contract in full or in part, requests in such cases for extending the time beyond 27th September 1973, for import or export of goods, as the case may be, will be considered in accordance with the provisions made in this Public Notice.

4. **Export from India.**—In the case of exports from India to Bangladesh, the eligible exporters in India should approach the State Bank of India, Main branch,

3 Strand Road, Calcutta, with documentary evidence to show that the eligible exporter in India and the eligible importer in Bangladesh have mutually agreed to the goods being supplied after 27th September, 1973. Such evidence may be in the form of a Letter of Credti duly extended or any other satisfactory evidence such as exchange of letters or cables acceptable to the Bank. The exporter should also indicate the description of goods and their value for which the contract was originally registered and the unutilised value of the contract for which the goods, in question, have to be exported after 27th September, 1973. The State Bank of India, Calcutta, will send necessary intimation about this to the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Calcutta and the Uttara Bank, Dacca. After State Bank of India, Calcutta, has accepted the evidence, the eligible exporter should apply to the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Calcutta, for permission to export the goods after 27th September, 1973, indicating the description of goods and the value. These formalities should be completed by the eligible exporter on or before 28th October, 1973. On receipt of the necessary confirmation from the State Bank of India, Calcutta, the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Calcutta will allow exports to be made within a period of 30 days from the date permission is granted. The permission will be granted by the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Calcutta, by issuing an export licence/suitably endorsing the licence already issued or by passing the shipping bill/suitably endorsing the shipping bill already passed. Export shall be only against irrevocable Letter of Credit.

5. **Imports into India.**—In the case of imports into India from Bangladesh, the eligible exporter in Bangladesh will like-wise approach the Uttara Bank, Dacca with necessary evidence of the type indicated in paragraph 4 above. The Uttara Bank, Dacca will send the necessary intimation about this to the State Bank of India, Main branch, 3 Strand Road, Calcutta. The State Bank of India, Calcutta, will send the necessary intimation to the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Calcutta. The eligible importer in India should apply to the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Calcutta, for permission to import the goods after 27th September, 1973, indicating the description of goods and the value thereof. Such application should be made by eligible importer to the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Calcutta, on or before the 28th October 1973. On receipt of necessary confirmation from State Bank of India Calcutta the Joint Chief Controller of Imports and Exports Calcutta will allow import to be made by shipment or despatch of goods from Bangladesh within a period of 30 days from the date permission is granted. The permission will be granted by the Joint Chief Contrroller of Imports and Exports, Calcutta, by issuing a fresh import licence or by suitably endorsing the licence already issued. Import shall be only against irrevocable Letter of Credit.

6. The value of exports and imports made under the provisions of paragraphs 4 and 5 above will be accounted for under the Balanced Trade and Payments arrangements as in force from 28th September 1973, A specific endorsement to this effect will be made on the licence/shipping bill by the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Calcutta, while allowing exports or imports of goods under paragraphs 4 and 5 above.

S. G. BOSE MULLISK,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1973

विषय .—बांगलादेश से व्यापार ।

सं० : 158-आई टी सी (पी एन)/73.—निम्नलिखित की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है :—

(1) 27 सितम्बर, 1973 तक लागू सीमित भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत बंगलादेश के साथ व्यापार से सम्बन्धित वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 108—आईटीसी (पीएन)/73, दिनांक 26 जून, 1793; और

(2) 28-9-1973 से 27-9-1974 अवधि के दौरान संतुलित व्यापार और भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत बांगलादेश के साथ व्यापार से सम्बंधित वाणिज्य मंत्रालय का सार्वजनिक सूचना संख्या : 116—आईटीसी (पीएन)/72, दिनांक 16 जुलाई, 1973 ।

2. सीमित भुगतान व्यवस्था, जैसाकि उपर्युक्त (1) में उल्लिखित है, 27 सितम्बर, 1973 को समाप्त हो जाएगा। 28 सितम्बर, 1973 से / उपर्यूक्त (ख) में लिखित संतुलित व्यापार और भुगतान व्यवस्था लागू होगी ।

3. यदि बांगला देश से भारत में आयातों के लिए या बांगला देश को भारत से निर्यातों के लिए निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार सीमित भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत पहले ही पंजीकृत की गई किसी संविदाओं के सम्बन्ध में माल का पोतलदान या परेषण, चाहे वह संविदा के पूर्ण मूल्य के लिए हो या उसके किसी भाग के लिए, 27 सितम्बर, 1973 को या इससे पहले नहीं किया गया है और संविदा की पार्टियां अर्थात् क्रेता और विक्रेता पूर्णरूप में या आंशिक रूप में संविदा के बिना उपयोग किए गए मूल्य को शामिल करने के लिए 27 सितम्बर, 1973 के बाद माल का संभरण करने को आपस में सहमत होते हैं, तो ऐसे मामलों में माल के आयात या निर्यात जैसा भी मामला हो, के लिए 27 सितम्बर, 1973 के आगे समय बढ़ाने के लिए आवेदनों पर प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार विचार किया जाएगा ।

4. **भारत से निर्यात**.— भारत से बांगला देश को निर्यातों के मामले में भारत में पात्र निर्यातक को दस्तावेजों साक्ष्य के साथ स्टेट बैंक आफ इन्डिया, प्रधान शाखा, 3, स्ट्रान्ड रोड, कलकत्ता से यह प्रदर्शित करने के लिए सम्पर्क करना चाहिए कि भारत में पात्र निर्यातक और बांगलादेश में पात्र आयातक आपस में 27 सितम्बर, 1973 के बाद माल के संभरण के लिए सहमत हो गए हैं । ऐसा साक्ष्य पत्रों या तारों या केबलों या विधिवत विस्तृत साख पत्र के विनिमय के रूप में हो सकता है या पत्रों या केबलों के विनिमय के ऐसे रूप में हो सकता है जो बैंक को स्वीकार हो । निर्यातक को माल का विवरण और उसका मूल्य जिस के लिए संविदा मूल रूप से पंजीकृत की गई थी और संविदा के बिना उपयोग किए गए उस मूल्य को भी निर्दिष्ट करना चाहिये जिसके लिए 27 सितम्बर, 1973 के बाद विषयाधीन माल का निर्यात करना है । स्टेट बैंक आफ इन्डिया कलकत्ता इसके विषय में संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, कलकत्ता और उत्तरा बैंक ढाका को आवश्यक सूचना भेजेगा । स्टेट बैंक आफ इन्डिया, कलकत्ता द्वारा साक्ष्य स्वीकार कर लेने के बाद पात्र निर्यातक को 27 सितम्बर, 1973 के बाद माल का आयात करने की अनुमति के लिए माल का विवरण और मूल्य निर्दिष्ट करते हुए संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, कलकत्ता के पास आवेदन करना चाहिए । ये औपचारिकताएं पात्र निर्यातक को 28 अक्तूबर, 1973 को या इससे पहले पूर्ण कर लेनी चाहिए । स्टेट बैंक आफ इन्डिया, कलकत्ता से आवश्यक पुष्टिकरण प्राप्त करने पर संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, कलकत्ता मंजूरी प्रदान करने की तिथि से 3 दिनों के भीतर निर्यात करने की अनुमति देगा । संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, कलकत्ता द्वारा निर्यात लाइसेंस जारी करके । पहले ही जारी किए गए लाइसेंस को उचित रूप से पृष्ठांकित करके या पोत परिवहन बिल को पास कर के पहले ही पास किए गए पोत परिवहन बिल को उचित रूप से पृष्ठांकित करके अनुमति प्रदान की जाएगी । निर्यात केवल अपरिवर्तनीय साख पत्र के मद्दे किए जाएंगे ।

5. **भारत में आयात**.—बांगला देश से भारत में आयात के मामले में बांगलादेश का पात्र निर्यातक उसी तरह ऊपर की कंडिका 4 में संकेतित साक्ष्य के आवश्यक साक्ष्य के साथ उत्तरा बैंक, ढाका से सम्पर्क स्थापित करेगे । उत्तरा बैंक,

ढाका स्टेट बैंक आफ इन्डिया, प्रधान शाखा, 3 स्ट्रान्ड रोड, कलकत्ता को इसके सम्बन्ध में आवश्यक सूचना भेजेगा । स्टेट बैंक आफ इन्डिया, कलकत्ता आवश्यक सूचना संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, कलकत्ता को भेजेगा। 27 सितम्बर, 1973 के बाद माल का आयात करने के लिए माल के ब्यौरे और उसके मूल्य का संकेत करते हुए भारत में पात्र आयातक को संयुक्त मुख्य नियंत्रक, कलकत्ता के पास आवेदन करना चाहिए । पात्र आयातक द्वारा इस प्रकार का आवेदन संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात, कलकत्ता के पास 28 अक्तूबर, 1973 को या इससे पूर्व कर दिया जाना चाहिए । स्टट बैंक आफ इन्डिया, कलकत्ता से आवश्यक पुष्टिकरण की प्राप्ति हो जाने पर संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात कलकत्ता पोतलदान द्वारा माल का आयात किए जाने या अनुमति प्रदान किए जाने के 30 दिनों के भीतर बांगलादेश से माल भेजने की अनुमति देगा । संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, कलकत्ता द्वारा अनुमति एक नया लाइसेंस जारी कर या पहले ही जारी किए गये लाएसेंस पर उचित पृष्ठांकन कर प्रदान की जाएगी । आयात केवल अपरिवर्तनीय साखपत्र के भद्दे ही किया जाएगा ।

6. ऊपर की कंडिकाएं 4 और 5 के अंतर्गत किये गये निर्यातों और आयातों के मुख्य का लेखा-जोखा 28 सितम्बर, 1973 से लागू होने वाले संतुलित व्यापार एवं भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत रखा जाएगा । जब ऊपर की कंडिकाएं 4 और5 के अन्तर्गत निर्यातों या आयातों की अनुमति दी जाएगी तब संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयातो-निर्यात, कलकत्ता द्वारा इस सम्बन्ध में लाइसेंस पर पोतलधान बिल पर एक विशेष पृष्ठांकन किया जाएगा ।

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973